

अध्याय 2 पूँजीगत परियोजनाओं की योजना एवं निष्पादन

वर्ष 2006 में की गई परिकल्पना के अनुसार पूँजीगत परियोजनाओं को आरम्भ करने का उद्देश्य मौजूदा 11.82 एमएमटीपीए से 15 एमएमटीपीए, सस्ते कच्चे तेल का संसाधन, निम्न मूल्य उत्पादों से उच्च मूल्य उत्पादों में उन्नयन, आसुत प्राप्तियों को बढ़ाना, पीट कोक का उत्पादन करना, बीएस III/IV में पूर्ण डीजल का उन्नयन करना और प्रोपलीन का उत्पादन करने से रिफाइनिंग क्षमता का उन्नयन करना था।

0.44 एमएमपीटीए क्षमता सहित पॉली प्रोपीलीन यूनिट (पीपीयू) चरण III परियोजना के भाग के रूप में स्थापित की जा रही पेट्रोकेमिकल फ्लूडाईज्ड केटालिटिक क्रेकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू) में उत्पादित करने के लिए पोलिमेर ग्रेड प्रोपीलीन में बदल कर एक मूल्य वर्द्धित पेट्रोरसायन उत्पाद पॉलीप्रोपीलीन उत्पादन करने के उद्देश्य के साथ चरण III रिफाइनरी परियोजना के अतिरिक्त पैकेज के रूप में योजना तैयार की गई थी (2009)।

कंपनी ने मालभाड़ा और विलंब शुल्क में बचत के उद्देश्य सहित पास के ही मेंगलोर पत्तन पर बड़े जहाजों द्वारा आयातित कच्चे तेल का सहज निकास सुनिश्चित करने के लिए ₹1,044 करोड़ की अनुमानित लागत पर सिंगल पाइंट मूरिंग (एसपीएम) की स्थापना का भी निर्णय लिया (2010)।

2.1. योजना में कमियां

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कंपनी ने दीर्घ अवधि पहलू से आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना पूँजीगत परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए योजना तैयार की, जिसमें बाद के दिनों में संशोधन की आवश्यकता हुई। वास्तविक योजना में कमियों में संशोधन की आवश्यकता हुई जिसके परिणामस्वरूप अन्य इकाईयों के साथ कार्यान्वयन, समकालन में विलंब हुआ और लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, परियोजना चक्र के क्रम में बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप आरंभ करने में असामान्य विलंब हुआ।

2.1.1 परियोजना अवधारणा के समय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप समय और लागत का बढ़ना

बोर्ड ने ₹7,943 करोड़ की अनुमानित लागत पर 11.82 एमएमटीपीए से 15 एमएमटीपीए तक रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया (फरवरी 2006)। परियोजना में अन्य बातों के साथ मौजूदा कच्चे तेल आसवन इकाई (सीडीयू) I और II इकाइयों की पुनः मरम्मत और ल्यूब तेल बेस स्टॉक⁹ (एलओबीएस) इकाई की स्थापना शामिल थी। तथापि, प्रसंस्करण लाइसेंसधारकों से फीडबैक के आधार पर कंपनी ने वर्ष 2008 में परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया और मौजूदा सीडीयू की पुनः मरम्मत के स्थान पर नये सीडीयू की स्थापना का विकल्प चुना। मौजूदा हाइड्रो क्रैकर इकाइयों (एचसीयूज) में पुनः मरम्मत करने की गुजाइश को कम करके, पीएफसीसीयू के लिए एक फीड प्रैपैरेशन इकाई के रूप में, हैवी कोकर गैस ऑयल हाइड्रोटीटिंग इकाई (सीएचटीयू) को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। एलओबीएस को भी इस कारण से हटा दिया गया था कि मुम्बई हाई और अरब हैवी क्रुड से एलओबीएस की वांछित गुणवत्ता का उत्पादन संभव नहीं था, ऐसा विपणन बाधाओं के कारण भी हुआ।

संप्रत्ययीकरण के आरंभिक स्तर पर इकाइयों की आवश्यकता, प्रक्रिया लाइसेंसदाता से प्रतिपुष्टि प्राप्त किये बिना स्थापित की गई थी जिसके कारण वर्ष 2008 में संशोधन हुए और परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि हुई। कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ₹1,960 करोड़ से लागत में वृद्धि के अलावा, मूल्य वृद्धि के कारण ₹2,509 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई थी। अनुमानित लागत, जो वर्ष 2006 में ₹7,943 करोड़ अनुमोदित की गई थी, वर्ष 2008 में यह ₹12,412 करोड़ हो गई। निर्धारित यांत्रिक पूर्णता तिथि भी जून 2010 से अक्टूबर 2011 तक विस्तारित हुई।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने में विलम्ब, लाइसेंसदाता प्रतिपुष्टि पर आधारित नई इकाइयों के आरंभ करने/इकाइयों की क्षमता में परिवर्तन आदि के कारण अनुसूची और कार्य क्षेत्र में संशोधन आवश्यक था जिसके परिणामस्वरूप लागत में भी वृद्धि हुई।

⁹ इकाई जो स्नेहक का उत्पादन करती है।

मंत्रालय के साथ (जून 2017) एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, कंपनी ने बताया कि एक पूंजीगत परियोजना को लेते समय, समय और लागत को बचाने के लिए, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के बजाय कंपनी परियोजना प्रबंधन सलाहकार के पास उपलब्ध डाटा पर आधारित परियोजना लागत पर निर्भर थी। इस प्रकार की प्रणालियों में, बाद की तिथि पर आशोधनों की सदैव आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि बीएस-IV एक समयबद्ध परियोजना थी और इसे एक समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दी थी। अतः एमआरपीएल को मंत्रालय की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करना था।

कंपनी/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि वर्ष 2006 में ही परियोजना के संप्रत्ययीकरण के समय लाइसेंसदाता फीडबैक प्राप्त हो सकता था। इससे वर्ष 2008 में संशोधन और परिणामस्वरूप समय अधिधाव के साथ ही लागत में उल्लेखनीय वृद्धि से बचा जा सकता था।

2.1.2 पीपीयू स्थापित करने के लिए निर्णय लेने में विलम्ब

वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट जो वर्ष 2006 और 2008 में एक्सिस बैंक (पूर्व में यूटीआई बैंक) द्वारा तैयार की गई थी, में पीएफसीसीयू में उत्पादित प्रोपलेन की बिक्री निर्दिष्ट की गई थी। जुलाई 2008, में ईआईएल, जिसने एकल पोली प्रोपलेन यूनिट (पीपीयू) के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को विकसित किया, ने नापथा प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित प्रोपलेन के उपयोग के लिए ऐसी इकाई के लिए ₹3,181 करोड़ की अनुमानित लागत अनुमानित की। तथापि, प्राप्ति की निम्न आंतरिक दर (आईआरआर) के कारण इसको आरम्भ नहीं किया गया। बाद में मई 2009 में, प्रोपलेन की निकासी में समस्याओं को महसूस कर कंपनी ने ₹1,804 की अनुमानित लागत पर प्रोपलेन को पॉलीप्रोपलेन में प्रसंस्करण के लिए एक एकीकृत पीपीयू स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया। इस अवसर पर, कंपनी ने पाया कि वेक्यूम गैस ऑयल (वीजीओ) से उत्पादित प्रोपलेन, नापथा का उपयोग करके उत्पादित प्रोपलीन की तुलना में पोलीप्रोपलेन के लिए सस्ता फीड होगा।

यद्यपि, पीएफसीसीयू में वीजीओ प्रसंस्करण से प्रोपलेन उत्पादन अगस्त 2008 में एकल पीपीयू की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के समय कंपनी को पता था, परन्तु उसी समय इस पर विचार नहीं किया गया। इसके बजाय मई 2009 में संयंत्र में एकीकृत

पीपीयू सम्मिलित किया गया था। जिसके कारण भूमि अधिग्रहण अनापत्ति प्राप्त करने आदि की पूरी प्रक्रियामें विलम्ब हुआ। यद्यपि पीएफसीसीयूपीपीयू के लिए फीड इकाईअगस्त 2014 में चालू की गयी थी और सितम्बर 2014 में आवश्यक कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) चालू किया गया था, परन्तु पॉलीप्रोपलेन का उत्पादन जो एक मूल्य वर्द्धित उत्पाद है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इकाई मई 2015 तक तैयार नहीं थी जिससेजीआरएम प्रभावित हुआ।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि प्रोपलेन बिक्री में रसद बाधाओं के कारण व्यवहार्यता के विस्तृत विश्लेषणों के आधार पर, पोलिप्रोपलीन के उत्पादन को बदलने का निर्णय लिया।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस में (जून 2017), कंपनी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारंभ में एमआरपीएल परिसर के लिए एसईजेड भूमि के आस-पास नापथा क्रेकर इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, अतिक्रमण के कारण भूमि की अप्राप्यता के कारण, इसे स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, रसद बाधाओं और आर्थिक मंदी के कारण, पीपीयू स्थापित करना प्रारंभिक रूप से स्थगित कर दिया गया था। बाद में क्योंकि प्रोपलीन का निर्यात व्यवहार्य नहीं पाया गया, इसलिए कंपनी ने रिफाइनरी परिसर में पॉलीप्रोपलीन, संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

तथापि, तथ्य यह है कि 2006 में वास्तविक प्रस्ताव और 2008 में प्रस्ताव के संशोधन के समय पर भी परिस्थिति/पैमाने जिससे 2009 में निर्णय लिया जाना प्रभावित हुआ मौजूद थे। यदि कंपनी ने इस पर विचार किया होता और कम से कम 2008 में, संशोधन के समय, एकीकृत पीपीयू की योजना बनाई होती तो विलम्ब और उत्पादन पर परिणामी प्रभाव; जैसा अध्याय-3 में उल्लेख किया गया, का परिहार किया जा सकता था।

2.2. परियोजना वित्तपोषण

पूंजीगत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, कंपनी ने (फरवरी 2006) 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात का निर्णय लिया था। कंपनी ने आंतरिक प्रोद्घवनों से ₹5,741 करोड़ (मई 2012 तक) प्रयुक्त किये और निम्नलिखित घरेलू ऋणों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) का उपयोग किया था।

तालिका 2.1: उधारों के विवरण

क्रम. सं.	स्रोत	संस्वीकृत ऋण	आहरण	आहरण अवधि	
				से	तक
1	ओएनजीसी (₹ करोड़ में)	5,000	4,800	अक्टूबर 2011	जुलाई 2013
2	तेल उद्योग विकास बोर्ड (₹ करोड़ में)	1,125	1,100	अगस्त 2011	मार्च 2014
3	ईसीबी - I (2012)	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	₹ 1,362 [@]	मार्च 2012	सितम्बर 2012
4	ईसीबी - II (2013)	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	₹ 2,365 [#]	मार्च 2013	मार्च 2014
	कुल		₹ 9,627		

[@] 1 अमेरिकी डॉलर= ₹54.4680, वास्तविक आहरण पर आधारित ईसीबी I के लिए औसत दर;

[#] 1 अमेरिकी डॉलर = ₹59.1285, वास्तविक आहरण पर आधारित ईसीबी II के लिए औसत दर;

कंपनी ने अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 तक विभिन्न हिस्सों में उपरोक्त को प्राप्त किया।

2.2.1 जोखिम कम किये बिना ईसीबी ऋणों का लाभ उठाना

अपने बोर्ड से (अक्टूबर 2011) अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने ईसीबी सुविधा एजेंट के रूप में एसबीआई हांगकांग शाखा के साथ विभिन्न विदेशी बैंको से ईसीबी के रूप में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर(मार्च 2012) का लाभ उठाया। कंपनी को किसी मुद्रा उतार-चढ़ाव के विरुद्ध ईसीबी ऋण की प्रतिरक्षा करने का विकल्प था। ऋण का लाभ उठाने के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करते समय, यह बताया गया था कि प्रतिरक्षा की लागत पर विचार करने के बाद भी घरेलू ऋण की तुलना में ईसीबी ऋण सस्ता था। तथापि, उसी समय पर बोर्ड को यह बताया गया कि निर्यात आय के माध्यम से डालर के सतत प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा उधार लेने में कंपनी को प्राकृतिक प्रतिरक्षा का लाभ होगा और इसके लाभ काफी हद तक डॉलर वर्चस्व के थे। अंततः प्रतिरक्षा के बिना उपरोक्त ईसीबी ऋण का लाभ उठाया गया था।

मई 2012 में, बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि विदेशी मुद्रा उधार लेने में शामिल विनिमय जोखिम और 250 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक उधार को ध्यान में

रखकर विदेशी मुद्रा में और उधार लेना व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं हो सकता और शेष कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी आगे से उधार रूपये में लेने पर विचार कर सकती है।

तथापि, जनवरी 2013 में, अन्य 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन शू विकल्प के साथ ईसीबी के 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ लेने का अनुमोदन बोर्ड की बैठक में दिया गया। इस बैठक के दौरान यह भी बातया गया कि निर्यात आय के माध्यम से डालर के सतत प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा उधार लेने में कंपनी को प्राकृतिक प्रतिरक्षा का लाभ होगा और बड़ी सीमा तक इसके लाभ डॉलर वर्चस्व के थे। इस अनुमोदन के प्रति, कंपनी ने ईसीबी के रूप में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ उठाया था। यह ईसीबी भी प्रतिरक्षित नहीं थी, यद्यपि बोर्ड को भी इसके विषय में अवगत कराया गया था कि प्रतिरक्षा लागत को सम्मिलित करते हुए ईसीबी की लागत घरेलू ऋण की तुलना में कम होगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ईसीबी प्रतिरक्षा न होने के कारण, कंपनी को ऋण के पुनः भुगतानों पर (सितम्बर 2016 तक) विनिमय दर में भिन्नता (मुद्रा प्रतिरक्षा लागत का सकल)के कारण लगभग ₹13.70 करोड़ की हानि पहले ही हो गई थी और यदि डॉलर के मुकाबले रूपया मजबूत नहीं होता है तो इससे अधिक हानि हो सकती है। लेखापरीक्षा का विचार था कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा की उपलब्धता से सम्बन्धित औचित्य ने इस तथ्य की अनदेशी की कि कच्चे तेल के आयात और अंतिम उत्पादों के निर्यात से संबंधित मुद्रा उतार-चढ़ाव का समंजन होगा।

कंपनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि मुद्रा अस्थिरता जोखिम के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया और कंपनी के व्यवसाय में उपलब्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा और संबद्ध प्रतिरक्षा लागत पर अतीत में प्रतिरक्षा पर होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अपने राजस्व लेखा नकदी प्रवाह के प्रति ईसीबी ऋण प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षित था। परामर्शदाता ने भी प्रतिरक्षा नहीं करने को कहा था।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कांफ्रेंस में (जून 2017), कंपनी ने दोहराया कि ऋण के पुनर्भुगतान सहित कंपनी के लिए प्रतिरक्षा स्वभाविक रूप से उपलब्ध थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिरक्षा की लागत अधिक थी और प्रतिरक्षा प्राप्त करने के द्वारा सस्ते ईसीबी ऋणों के माध्यम से मुनाफे का लाभ विफल हो गया होता। कंपनी ने पुष्टि की

कि बोर्ड में मामले पर चर्चा की गयी थी परन्तु प्रतिरक्षा करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसका निर्णय प्रबंधन पर छोड़ दिया गया था।

कंपनी/मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना है कि प्राकृतिकप्रतिरक्षा कच्चे तेल के आयात और अंतिम उत्पादों के निर्यात से संबंधित मुद्रा उतार-चढ़ाव का समंजन करेगा। वास्तव में, पूंजीगत और कार्यरत पूंजीगत वित्तपोषण के प्रस्ताव का मूल्यांकन (मई 2012) करते समय, बोर्ड ने कहा था कि विदेशी मुद्रा उधार लेने में सम्मिलित विनियम जोखिम और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ईसीबी के माध्यम से मौजूदा उधार को ध्यान में रखकर विदेशी मुद्रा में और उधार लेना व्यवसायिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं हो सकता। तथापि, इसके प्रतिकूल, 8 महीनों की अल्प अवधि के अन्तर्गत, बोर्ड ने जनवरी 2013 में अन्य ईसीबी को अनुमोदन दिया था जिसे प्रतिरक्षा के बिना उपयोग किया गया था।

2.2.2 आवश्यकता से अधिक में निधियों का आहरण

कंपनी ने 2012 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ईसीबी-I का लाभ उठाया था। जनवरी 2013 में, ओएनजीसी और तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से घरेलू उधारों पर विचार करने बाद, कंपनी ने 2013-15 के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ईसीबी ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन (जनवरी 2013) किया था। बोर्ड ने प्रस्ताव के अनुमोदन के समय (जनवरी 2013) उपरोक्त राशि के अलावा कंपनी को परियोजना के लिए आवश्यक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि का लाभ उठाने की अनुमति दी जैसी परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती थी। मार्च 2013 में ईसीबी II के लिए समझौता करते समय, कंपनी ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार मार्च 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्त ईसीबी 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का लाभ उठाया जो ₹3727 करोड़ के समतुल्य थी।

अप्रयुक्त निधियां सब्याज निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की गई थी। तथापि, सितम्बर 2015 में, ₹1,111.35 करोड़ की अप्रयुक्त निधि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार ब्याज रहित चालू खाते में अन्तरित करना पड़ी थी। 31 मार्च 2016 और 30 सितम्बर 2016 तक अप्रयुक्त ईसीबी शेष, क्रमशः ₹807.84 करोड़ और ₹768.46 करोड़ था, यद्यपि पूंजीगत परियोजना के अन्तर्गत सभी इकाईयां पहले ही चालू कीजा चुकी थीं।

कंपनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि परियोजना समापन की औपचारिकताएं मूल्य कटौती खंड के लागू करने के कारण कम नकदी बहिर्प्रवाह आदि के कारण ठेकेदारों से अंतिम प्रमाणित बिल विलम्बित हो गए थे। ऋण की चुकौती ईसीबी दिशा-निर्देश के अनुसार 5 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि से पहले अनुमत नहीं थी।

तथ्य यह शेष है कि कंपनी ईसीबी आवश्यकता का सही निर्धारण करने में विफल रही परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण राशि का प्रयोग नहीं किया गया, जो कि ब्याज रहित बैंक खाते में जमा करनी पड़ी थी, जबकि उस पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा था। क्योंकि कंपनी को पुनः भुगतान शर्तों और नियमों का पता था, इसलिए परियोजना की आवश्यकताओं के लिए योजना बनाते समय और निधियों के आहरण के समय अधिक विवेक का उपयोग किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया (जून 2017)।

2.3. ठेके देना

पूँजीगत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, कंपनी ने 2006 से 2015 के दौरान ₹11,279 करोड़ मूल्य के 1998 करार किए। लेखापरीक्षा में विभिन्न कम मूल्य की संविदाओं के अतिरिक्त, जहां एकल संविदा का मूल्य ₹10 करोड़ से अधिक था, ₹10,608 करोड़ मूल्य की कुल 87 संविदाओं की संवीक्षा की गई।

संवीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की अगामी पैराग्राफो में चर्चा की गई है।

2.3.1 परियोजना प्रबंधन सलाहकार को निष्पादन संविदा सौंपना

केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) के दिसम्बर 2004 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी परियोजना की तैयारी/कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं देने वाली फर्म उसी परियोजना से संबंधित सामान/कार्यों/सेवाएं उपलब्ध कराने के अयोग्य ठहरायी जायेगी।

कंपनी ने फेज III विस्तारण के लिए ₹ 256 करोड़ की लागत पर परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीसीएम) के रूप में इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को (जून 2006) नियुक्त किया था। बाद में, नवम्बर 2008 से जुलाई 2009 तक की अवधि के दौरान, सीवीसी दिशा-निर्देशों के विपरीत, कंपनी ने ₹3,337.80 करोड़ मूल्य वाले पीएफसीसीयू, सल्फर वसूली ईकाई¹⁰ (एसआरयू), एसआरयू लाइसेंस और पीपीयू, के

¹⁰ फीड से ईकाई सल्फर प्राप्त करती है।

निष्पादन के लिए कार्य के शीघ्र/समय पर पूरा करने के तर्क के आधार पर नामांकन आधार पर ईआईएल को चार और ठेके दिए। कंपनी ने चार संविदाओं से संबंधित परामर्श कार्य वापस लेने का निर्णय लिया और उस सीमा तक पीएमसी शुल्कों को घटाया था जो जुलाई 2012 तक अर्थात् 45 महीनों बाद (अक्टूबर 2008 से जुलाई 2012) किया गया था।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि परिवर्तन आदेश को अंतिम रूप देने में विलम्ब पीएमसी में सम्मिलित किये गये और वापस ली गई सेवाओं के मूल्य पर आपसी सहमति लाने में लिये गये समय के कारण हुआ।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस में (जून 2017), कंपनी ने परिवर्तन आदेश जारी करने में 45 महीनों के विलम्ब को स्वीकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी कारणों से कंपनी ने ईआईएल को संविदा प्रदान की थी और 17 नवम्बर 2008 को संविदाओं, जिनके लिए निष्पादन दिया गया था परन्तु इस संबंध में औपचारिक संविदा पर जुलाई 2012 में हस्ताक्षर किये गये थे, के लिए पीएमसी संविदा से ईआईएल को अलग करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी ने यह भी बताया कि एमआरपीएल ने परिवर्तन आदेश के निर्गमन की प्रतिकक्षा किये बिना, चार संविदाएं ईआईएल को देने पर एमआरपीएल ने अपने स्वयं के अधिकारियों के साथ एक परियोजना मानीटरिंग सेल गठित किया था पर उन्होंने आगे बताया कि प्रबंधन ने परियोजना दल को अब 30 दिनों की अवधि के अंदर संविदा पर हस्ताक्षर करने के स्पष्ट आदेश दिये हैं।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाये कि सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संविदाएं निष्पादन परियोजना प्रबंधन सलाहकार को नहीं दी जानी चाहिए थी।

2.3.2 औपचारिक निविदा करारों के अन्तिमीकरण में विलम्ब

लेखापरीक्षा में समीक्षित 87 निविदाओं के संबंध में, यह देखा गया कि अंतिम करार की शर्तें और निबंधन तथा प्रतिपादन को अंतिम रूप देने से पूर्व कम्पनी ने सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया था। कुछ को छोड़कर जिनमें समय-सीमा नहीं दी गई थी, शेष सभी औपचारिक ठेकों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति पत्र में 10 दिनों की समय-सीमा निर्दिष्ट की गई थी। यह देखा गया कि 84 ठेकों में, औपचारिक करार के क्रियान्वयन में 20 से 1002 दिनों का विलंब हुआ। इसमें

एसपीएम के लिए वह करार भी शामिल था जो 1002 दिनों की देरी से हस्ताक्षरित किया गया था, जिस तारीख तक यह कार्य निर्बाध रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए था। ₹1044 करोड़ की कीमत के चार अन्य करार भी एक वर्ष से अधिक के विलंब से हस्ताक्षरित किए गए। ₹18 करोड़ के मूल्य के एक कार्य के संबंध में, करार बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि ईआईएल द्वारा किए जाने वाले ठेकों की संख्या और पृष्ठों की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ठेकों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इससे गुणवत्ता/सुपुर्दगी तथा परियोजना लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

कंपनी का उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधन तथा व्यवस्थाएं शामिल नहीं होते हैं जो सामान्य रूप से औपचारिक करार दस्तावेज के भाग का निर्माण करते हैं तथा उस रूप में, एक वैध करार की अनुपस्थिति में पारस्परिक अधिकारों तथा दायित्वों को लागू करने का जोखिम अंतर्निहित था।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फेंस (जून 2017) के दौरान, कंपनी ने सूचित किया कि प्रबंधन ने परियोजना दलों को 30 दिनों की अवधि में करार हस्ताक्षरित करने के स्पष्ट निदेश जारी किए हैं।

2.4. फेज़ III विस्तारण परियोजना तथा पीपीयू परियोजना का कार्यान्वयन

कंपनी ने क्षमता बढ़ाने के लिए और मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों का नियोजन किया जिससे सकल रिफाईनरी मार्जिन में वृद्धि होनी थी जो निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.2: महत्वपूर्ण प्रसंस्करण इकाइयां

फीड	इकाई	प्रमुख उत्पाद
क्रूड	क्रूड/वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू/वीडीयू)	नाप्था, केरोसीन, एचएसडी, वीजीओ, शार्ट रेसिड्यू
वैक्यूम गैस ऑयल (वीजीओ)	हाइड्रो क्रैकर यूनिट ¹¹ (एचसीयू)	वीजीओ, लाइट नाप्था, केरोसीन, एचएसडी
शार्ट रेसिड्यू	डिलेडकोकर यूनिट ¹² (डीसीयू)	नाप्था, एलपीजी, कोक
हैवी कोकर गैस ऑयल (एचसीजीओ), वीजीओ	हैवीकोकर हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट (सीएचटीयू)	ट्रीटेड एचसीजीओ, नाप्था, एचएसडी
वीजीओ, ट्रीटेड एचसीजीओ	पेट्रोकेमिकल फ्ल्यूडाइज्ड कैटेलिटीक क्रैकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू)	प्रोपीलीन, मोटर स्पिरिट
प्रोपलीन	पॉलीप्रोपीलीन यूनिट (पीपीयू)	पोलीप्रोपीलीन
हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)	डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन ट्रीटिंग यूनिट ¹³ (डीएचडीटी)	बीएस III/IV एचएसडी

एक इकाई का उत्पाद अन्य प्रसंस्करण इकाइयों का फीड बन जाता है, जहाँ तक मूल्य वर्द्धन का प्रश्न है यह यथा प्रस्तावित फेज़ III विस्तारण परियोजना में निकाला जाता है। किसी भी प्राथमिक इकाई के संस्थापन में हुए विलंब से अनुवर्ती गौण प्रसंस्करण इकाइयों तथा मूल्य वर्द्धित उत्पादों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त इकाइयों के अतिरिक्त, फेज़ III में सभी इकाइयों की विद्युत तथा भाप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा (2006) एक केप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) III प्रस्तावित किया गया था।

इकाइयों की योजना तथा वास्तविक कार्यान्वयन की समीक्षा से यह पता चला कि सीपीपी को आरंभ करने में हुए विलंब के कारण संस्थापन में विलंब हुए। इन विलंबों के कारण वर्तमान/नई गौण प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित यांत्रिक रूप से पूर्ण इकाइयों का भी संस्थापन और एकीकरण नहीं किया जा सका। इन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

¹¹ वीजीओ की उच्च अंश इकाइयों को हल्के और अधिक मूल्यवान उत्पादों में तोड़ा जाता है।

¹² कम कीमत के शेष को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करता है।

¹³ विभिन्न इकाइयों में से प्राप्त फीड से सल्फर, नाईट्रोजन तथा धातु अशुद्धियों को हटाता है।

2.4.1 केप्टिव पावर प्लांट के संस्थापन में विलंब

एक रिफाइनरी के लिए भाप और विद्युत की आपूर्ति हेतु केप्टिव पावर प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण उपादेयता है तथा अन्य प्रसंस्करण इकाइयों से पूर्व इसका संस्थापन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2006 में कंपनी ने फेज़ III विस्तारण योजना के एक भाग के रूप में सीपीपी की योजना बनाई थी। सीपीपी के स्थापन का कार्य (फरवरी 2009) समय बचाने के लिए एकल निविदा आधार पर भेल को दिया गया। कार्य को 10 पैकेजों में बांट दिया गया तथा इसे जनवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था।

ठेकेदार द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में विलंब किया गया तथा सीपीपी III की विभिन्न इकाइयां अगस्त/सितम्बर 2014 में आरंभ की जा सकीं। तथापि, दस पैकेजों में से तीन के संबंध में, शट डाउन/सुधार कार्यों की आवश्यकता के कारण निष्पादन गारंटी टेस्ट (नवम्बर 2016) लंबित था। सीपीपी के संस्थापन में विलंब के कारण, विभिन्न इकाइयां (सीडीयू/वीडीयू के अतिरिक्त) 11 से 26 माह तक यांत्रिक समापन के बाद भी निष्क्रिय पड़ी रही।

कंपनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि भेल एक पीएसयू है, यह कार्य उसे एकल निविदा आधार पर सौंपा गया था। भेल की ओर से अभियांत्रिकी तथा आपूर्ति संबंधी मामलों, खराब भंडार प्रबंधन, समुचित स्टाफ की तैनाती न होने तथा विलंबित कार्यान्वयन आदि के कारण परियोजना में विलंब हुआ। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मंत्रालय द्वारा यही बात दोहरायी (जून 2017) गई।

उत्तर इस तथ्य पर विचार करते हुए अस्वीकार्य है कि फेज़ III विस्तारण परियोजना, जिसकी लागत ₹13,475 करोड़ थी, सीपीपी सबसे महत्वपूर्ण उपादेयता थी और इसलिए सीपीपी के समयानुसार क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों को सूक्ष्म निगरानी तथा फॉलो-अप के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए था।

2.4.2 केप्टिव पावर प्लांट के संस्थापन में विलंब का प्रभाव

चूंकि सीपीपी की सभी इकाइयां निर्धारित तारीख तक तैयार नहीं थी, इसलिए यांत्रिक रूप से तैयार फेज़ III की प्रसंस्करण इकाइयां भाप और विद्युत की आवश्यकता के कारण आरंभ नहीं की जा सकीं। सीपीपी के संस्थापन में विलंब के कारण प्रसंस्करण इकाइयों के आरंभ होने में हुए विलंब के प्रभाव का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: प्रसंस्करण इकाइयों पर सीपीपी के संस्थापन से होने वाले विलंब का प्रभाव

इकाई	यांत्रिक पूर्णता की तिथि	आरंभ होने की तिथि	विलंब महिनों में	सीपीपी विलंब का प्रभाव
सीडीयू/वीडीयू	27 अक्टूबर 2011	25 मार्च 2012	5	<ul style="list-style-type: none"> परिकल्पित थ्रोपुट प्राप्त करने में विलंब। वीजीओ का अनुन्मयन तथा अवशेष, अतिरिक्त उत्पादन में विलम्ब तथा डीज़ल को बीएस-III तथा IV में परिवर्तित करने में असफलता। भाप और विद्युत का प्रबंध करने के लिए अतिरिक्त लाईन बिछाने में ₹23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।
डीएचडीटी	10 जनवरी 2012	29 नवम्बर 2012	11	<ul style="list-style-type: none"> इकाई का निष्क्रिय रहना तथा परिणामस्वरूप एसएसडी का बीएस III/IV में अपरिवर्तन
सीएचटीयू	19 मार्च 2012	10 मई 2014	26	<ul style="list-style-type: none"> इकाई का निष्क्रिय रहना, वीजीओ के अपरिवर्तन के कारण उत्पादन में हानि।
डीसीयू	22 फरवरी 2013	4 अप्रैल 2014	13	<ul style="list-style-type: none"> इकाई का निष्क्रिय रहना, लाईट कोकर गैस ऑयल/हैवी कोकर गैस ऑयल तथा नाप्था का अनुत्पादन जिसके परिणामस्वरूप फ्यूल ऑयल का उत्पादन हुआ, जो एक अल्प मूल्य उत्पाद है।
पीएफसीसीयू	26 दिसम्बर 2012	27 अगस्त 2014	20	<ul style="list-style-type: none"> इकाई का निष्क्रिय रहना, प्रोपीलीन का परिकल्पित अनुत्पादन। पीएफसीसीयू की अनुपस्थिति में, वीजीओ जो कि इकाई के लिए फीड था उसे पीएफसीसीयू में मूल्य वर्द्धित उत्पाद में परिवर्तित करने के बजाय बेच दिया गया।

प्रत्युत्तर में, कंपनी ने निम्नलिखित कहा (नवम्बर 2016):

- क. सीडीयू/वीडीयू - उच्च दाब स्टीम पाईपलाईन का उपयोग भविष्य में फेज़ I तथा II से फेज़ III तथा विपरीत क्रम से आवश्यकता होने पर भाप के अंतरंग के लिए किया जा सकता है। डीसीयू/डीएचडीटी - डीसीयू की अनुपस्थिति में, कम अवशेष विपणनीय फ्यूल ऑयल में प्रसंस्कृत किया गया था।
- ख. पीएफसीसीयू/सीएचटीयू - कंपनी ने यह स्वीकार किया कि भाप और विद्युत की अनुपलब्धता ने पीएफसीसी तथा सीएचटीयू के संस्थापन को प्रभावित किया। सीएचटीयू की अनुपलब्धता का वीजीओ के निर्यातों पर कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि यह पीएफसीसीयू के अनुवर्ती अनुमार्गण हेतु डीसीयू से केवल एचसीजीओ का प्रसंस्करण करता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सभी प्रसंस्करण इकाइयों के संस्थापन तक मूल्य वर्द्धित उत्पाद के उत्पादन के लक्ष्य को कंपनी प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, फेज़ I तथा II से भाप और विद्युत के लिए अतिरिक्त लाईन बिछाने, जो कि विस्तारण योजना के लिए परिकल्पित/आवश्यकता नहीं थी, के परिणामतः ₹23 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। सीपीपी के साथ डीसीयू के असमकालन से फ्यूल ऑयल का उत्पादन हुआ, जो निम्न मूल्य उत्पाद है तथा फेज़ III परियोजना के उद्देश्य के प्रतिकूल था। यह उत्तर कि वीजीओ सीएचटीयू में प्रसंस्कृत नहीं हो पाएगा भी फेज़ III विस्तारण परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफएफआर) के प्रतिकूल था जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एचसीजीओ तथा वीजीओ सीएचटीयू के फीड के लिए है।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2017) के दौरान प्रसंस्करण इकाइयों को आरंभ करने पर भेल द्वारा सीपीपी के संस्थापन में विलंब के प्रभाव पर कंपनी/मंत्रालय द्वारा सहमति जताई गई।

2.5 सिंगल पॉइंट मूरिंग परियोजना का कार्यान्वयन

न्यू मंगलोर पत्तन स्थित अपने दो ऑयल बर्थ, जो छोटे जहाज़ (एफ्रामेक्स) को संभालने में सक्षम हैं, के द्वारा कंपनी कच्चा तेल प्राप्त और उत्पादों का प्रेषण करती है। कंपनी ने विशाल जहाज़ों (वीएलसीसी) में कच्चे तेल की अधिक मात्रा को संभालने

के लिए पत्तन से 17 कि.मी. दूर ₹1043.57 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) फैसिलिटी इंस्टॉल करने की योजना (2010) बनाई।

कंपनी ने पारस्परिक हित को ध्यान में रखते हुए कैवर्न (1.5 एमएमटी की उपलब्ध क्षमता में से 0.3 एमएमटी) में कच्चे तेल के भंडारण हेतु इण्डियन स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिसोर्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल), एक विशेष प्रयोजन वाहन तथा ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सबसीडियरी के साथ एक संधि करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2009)। कैवर्न तथा कंपनी के बूस्टर पंपिंग स्टेशन से कैवर्न तक ₹1100 करोड़ की अनुमानित राशि पर पाइपलाइन का निर्माण आईएसपीआरएल का उत्तरदायित्व था। इसमें, से कंपनी का अनुमानित हिस्सा ₹220 करोड़ अनुमानित था। एसपीएम फैसिलिटी की शेष परियोजना लागत अर्थात् ₹823.57 करोड़ एसपीएम ऑफ शोर फैसिलिटी, सब-सी पाइपलाइन, किनारे पर बूस्टर पंपिंग स्टेशन तथा आईएसपीआरएल के कैवर्न से रिफाइनरी तक पाइपलाइन के लिए थी।

एसपीएम के इंस्टॉलेशन के द्वारा कंपनी ने मालभाड़ा (₹166.77 करोड़), विलंब-शुल्क (₹15.50 करोड़) तथा रिफाइनरी मार्जिन में सुधार (₹71.90 करोड़) की ₹254.17 करोड़ प्रतिवर्ष की बचत का आकलन किया।

अगस्त 2013 में 806.77 करोड़ (आईएसपीआरएल के कैवर्न की पूंजीगत लागत के हिस्से को छोड़कर) की लागत के साथ एसपीएम फैसिलिटी संस्थापित की गई। आईएसपीआरएल कैवर्न फैसिलिटी अभी संस्थापित की जानी थी (सितम्बर 2016) एसपीएम परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का विवेचन निम्नानुसार है:

2.5.1 ईआईएल के साथ एसपीएम करार में कमियां

कंपनी द्वारा समय बचाने के लिए एसपीएम के कार्यान्वयन का ठेका ईआईएल को नामांकन आधार पर प्रदान (जुलाई 2010) किया गया तथा ओपन बुक एक्जीक्यूशन¹⁴ (ओबीई) के अंतर्गत परियोजना मई 2012 तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी। कंपनी द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि चूंकि ईआईएल आईएसपीआरएल का ठेकेदार भी रह चुका है तो परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान बेहतर समन्वय और तालमेल होगा। कार्य की अनुमानित लागत ₹1,043.57 करोड़ थी जिसमें सयंत्र और मशीनरी

¹⁴ एक करार जिसमें पूर्व निर्धारित मार्जन/शुल्क के साथ सभी संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को कर दी जाती है।

के लिए ₹600 करोड़ शामिल थे। ईआईएल को 'एज़ बिल्ट' शुल्क के रूप में 8.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। लेटर ऑफ अवार्ड के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी की अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत के लिए उपस्कर, माल और कार्य के आदेश दिए जाने के बाद यह कार्य लम्प सम टर्न की (एलएसटीके) में परिवर्तित हो जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि ठेकेदार ने अप्रैल 2011 तक आदेश स्थिति का 70 प्रतिशत भाग पूर्ण कर लिया था, परन्तु कंपनी ने शर्तों के अनुसार करार को एलएसटीके में परिवर्तित करने की लागत तथा लाभों का विश्लेषण करने के लिए कदम नहीं उठाए तथा ईआईएल ने कार्य ओबीई विधि के अन्तर्गत पूर्ण किया।

कंपनी ने बताया कि (नवम्बर 2016) परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन समिति (पीएईसी) ने ठेका प्रदान करते समय, अन्य करारों (पीएफसीसीयू/पीपीयू) के समान ओबीई शर्तों और निबंधन को अपनाने का निर्णय लिया। ओबीई से एलएसटीके में परिवर्तन के संबंध में, ईआईएल से इसकी प्राप्ति होने के तुरंत बाद परिवर्तन के प्रस्ताव पर कार्य आरंभ किया गया था।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2017) के दौरान, कंपनी के बताया कि उसने एलएसटीके हेतु अधिक ज़ोर नहीं दिया क्योंकि एलएसटीके की वास्तविक लागत ओबीई से अधिक थी। मंत्रालय ने कंपनी के उत्तर पर सहमति जताई।

कंपनी द्वारा दिए गये उत्तर के आधार पर कि करार निष्पादित होने के पश्चात अप्रैल 2014 में ईआईएल से यह प्रस्ताव आया कि ओबीई कीमतें एलएसटीके कीमतों से अधिक हैं। अतः एलएसटीके कीमतों के साथ ओबीई कीमतों की तुलना करना अनुचित था।

2.5.2 क्रूड भंडारण के लिए आईएसपीआरएल के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप न दिया जाना

यद्यपि आईएसपीआरएल द्वारा निर्मित किए जाने वाले कैवर्न की भागीदारी करने का निर्णय दिसम्बर 2009 में लिया गया था, किंतु इस संबंध में कोई करार नहीं किया गया था। अक्टूबर 2012 में, जब एसपीएम यांत्रिक रूप से पूर्ण हो चुका था, तब कंपनी द्वारा एक अध्ययन कराया गया जिसमें यह इंगित किया गया कि संभार कारणों तथा मल्टीपल क्रूड ग्रेड के कारण कैवर्न आरंभ करने से पूर्व वीएलसीसी

जलयानों को यहाँ खाली नहीं कराया जा सकता। तथापि, जून 2014 में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और निबंधनों पर एसपीएम और कैवर्न के साझा प्रयोग के लिए आईएसपीआरएल के साथ कंपनी द्वारा एक समझौता ज्ञापन किया गया। तथापि समझौता ज्ञापन में संदर्भित अवसंरचना भागीदारी अनुबंध (आईएसए) जो प्रचालन, वाणिज्यिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों का समाधान करेगा, उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था (नवम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसपीएम फैसिलिटी अगस्त 2013 में आरंभ की गई, परन्तु कंपनी को अभी प्रतिपादित लाभ प्राप्त करना था क्योंकि उससे जुड़ी कैवर्न फैसिलिटी अभी तैयार नहीं थी (नवम्बर 2016)। आईएसपीआरएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कंपनी को 48 माह (जुलाई 2010 से जून 2014) का समय लगा तथा संबंधित आईएसए दो वर्षों से भी अधिक समय से लंबित था।

कंपनी ने कहा कि (नवम्बर 2016) शोर टैंकों के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के कहने पर एसपीएम ने आईएसपीआरएल कैवर्न के साथ संधि की थी और करार पूर्ण करने के लिए आईएसपीआरएल के साथ सक्रिय प्रयास किया गया था।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस (जून 2017), में कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमति जताई। यह बताया गया कि आईएसपीआरएल ने कम्पनी के साथ भण्डारण सुविधा सहभाजित न करने का निर्णय लिया था यद्यपि कम्पनी द्वारा इस संबंध में प्रयास किए जा रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि आईएसपीआरएल का कैवर्न सामरिक उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया था और एमआरपीएल को कैवर्न प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, कम्पनी ने स्पष्ट किया कि केवल कैवर्न से रिफाइनरी तक बिछाई गई 1.5 कि.मी पाइपलाइन उस मामले में खाली रहेगी यदि एमआरपीएल को भण्डार से कच्चा तेल निकालने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और इस पाइपलाइन को अंतरिम अवधि के दौरान पानी की आपूर्ति के लिए भी उपयोग किया गया था।

कम्पनी/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एमओईएफ ने कम्पनी को कच्चे तेल के भण्डारण टैंकों के स्थान की यह सुझाव देते हुए पुनः जांच करने की सलाह दी थी कि रेतीली तटीय भूमि पर भण्डारण टैंकों के निर्माण से बचने के लिए इन्हें उच्च स्तर पर स्थापित किया जाए। उसने सुझाव दिया था कि कम्पनी आईएसपीआरएल

द्वारा निर्मित मैंगलोर क्रूड आयल केवर्न के सहभाजन की संभावनाकी खोज करे। तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय कम्पनी द्वारा लिया जाना था। तथ्य यह रह जाता है कि एसपीएम पर किया गया ₹806.77 करोड़ का व्यय कच्चे तेल की प्राप्तियों के लिए केवर्न के सहभाजन हेतु विशिष्ट शर्तों तथा निबन्धनों के बिना किया गया था। अतः एसपीएम का मुख्य उद्देश्य अर्थात् वीएलसीसी में कच्चा तेल प्राप्त करना संस्थापन के तीन वर्षों बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।

2.5.3 बूस्टर पम्पिंग स्टेशन और पाइपलाइन की निष्क्रियता

कम्पनी ने बूस्टर पम्पिंग स्टेशन (बीपीएस) का संस्थापन (दिसम्बर 2013) ₹188.69 करोड़ की लागत से और केवर्न से रिफाइनरी तक पाइपलाइन (अगस्त 2014) का संस्थापन ₹14.73 करोड़ की लागत से किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएसपीआरएल द्वारा केवर्न सुविधा के संस्थापन में विलम्ब के कारण दिसम्बर 2013 से केवर्न से रिफाइनरी तक बीपीएस और पाइपलाइन निष्क्रिय पड़े रहे (सितम्बर 2016)।

कम्पनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि आईएसपीआरएल के अस्तित्व पर ध्यान दिए बिना बीपीएस एसपीएम के संचालन हेतु आवश्यक था क्योंकि स्टेशन में विभिन्न नियंत्रक यूनितें शामिल थीं। इसके अलावा, सुविधाओं का निर्माण केवर्न सुविधा के साथ तालमेल हेतु किया गया था जो दिसम्बर 2013 तक संस्थापन हेतु निर्धारित थी।

तथ्य यह रह जाता है कि दिसम्बर 2013 तक ₹203.42 करोड़ की लागत से निर्मित सुविधाओं का उपयोग सितम्बर 2016 तक नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जून 2017)।

2.5.4 जलयानों की समय सारणी और विपथन

एसपीएम के त्रुटि मुक्त संस्थापन की अपेक्षा करते हुए कम्पनी ने चार मध्यम जलयानों (सुएज़मैक्स) का आदेश दिया (अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 तक) ताकि कच्चा तेल एसपीएम सुविधा में स्थान ले सके। तथापि, ये जलयान एसपीएम पर कच्चे तेल को मुक्त नहीं कर सके क्योंकि सुविधा में उभरे कोर से रिसाव के कारण सुविधा का संस्थापन नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि अक्टूबर 2012 में परीक्षण चालन के दौरान रिसाव पाया गया था, परन्तु सुधारात्मक

कार्रवाई पूरी करने में तीन माह लग गए (दिसम्बर 2012)। संस्थापन के दौरान समान प्रकार की त्रुटियां दोबारा पाई गई थी (जनवरी 2013)। चूंकि रिसाव पाए जा रहे थे, इसलिए पहले उदाहरण में छोटे जलयान के बजाय बड़े जलयानों में कच्चे तेल की योजना तथा आदेश देने के परिणामस्वरूप लाइटरेज¹⁵ के लिए मुम्बई को सभी चार जलयानों का विपथन और उसे निकालने के लिए मंगलौर बंदरगाह पर चार छोटे जलयानों के साथ साथ वापिस भेजना पड़ा। फलस्वरूप, विपथन और लाइटरेज पर ₹12.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय और विलम्ब शुल्क पर ₹6.39 करोड़ का व्यय करना पड़ा था। अन्ततः अगस्त 2013 में सुविधा का संस्थापन किया गया था।

उत्तर में (नवम्बर 2016) कम्पनी ने परीक्षण चालन की विफलता के कारण और संशोधन में विलम्ब के कारण स्पष्ट किए। उसने कहा कि कच्चे तेल की अधिप्राप्ति की योजना 2 से 3 महीने पहले की जानी थी और इसलिए जनवरी 2013 में त्रुटि मुक्त संस्थापन की अपेक्षा में बड़े जलयानों की योजना बनाई गई थी और वास्तव में इन चार जलयानों के समग्र परिवहन पर किया गया व्यय छोटे जलयानों द्वारा कच्चे तेल के परिवहन की तुलना में कम था।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि कम्पनी ने बड़े जलयानों के प्रति छोटे जलयानों की लागत और लाभ पर कोई विश्लेषण नहीं किया। यदि प्रस्ताव मितव्ययी था, तो कम्पनी एसपीएम के संस्थापन तक अर्थात् अगस्त 2013 तक इस प्रणाली को जारी रखसकती थी। इसके बजाय कंपनी ने एसपीएम के संस्थापन के समय तक छोटे जलयानों में कच्चा तेल प्राप्त करना जारी रखा।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया (जून 2017)।

2.5.5 एसपीएम का उद्देश्य पूरा न होना

कम्पनी ने एसपीएम के संस्थापन के बाद अनुमान किया (2010), कि बड़े जलयानों में कच्चे तेल के परिवहन पर माल भाड़े में कमी के कारण कच्चे तेल की उतराई लागत प्रति वर्ष ₹166.77 करोड़ तक सस्ती और विलम्ब प्रभारों में ₹15.50 करोड़ प्रति वर्ष तक की बचत होगी। कम्पनी ने अपने रिफाइनरी मार्जिन में भी प्रति वर्ष ₹71.90 करोड़ तक की वृद्धि प्रत्याशित की थी। अतः एसपीएम से प्रत्याशित कुल लाभ प्रति वर्ष ₹254.17 करोड़ निकाला गया था।

¹⁵ छोटे जलयानों में कार्गो का स्थानांतरण ताकि उसे अल्पतर ड्राफ्ट के साथ पत्तन पर उतारा जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹806.77 करोड़ की लागत से एसपीएम के संस्थापन (अगस्त 2013) के बाद भी, कम्पनी संबंधित भंडारण सुविधा तैयार न होने के कारण वीएलसीसी में कच्चा तेल नहीं ला सकी जैसा परिकल्पित था और मालभाड़े में कमी का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वीएलसीसी के माध्यम से एक वर्ष में प्रारम्भ में प्रक्षेपित 54 लदानों के प्रति, कम्पनी ने 2014-15 में 273 छोटे जलयान और 2015-16 में पांच वीएलसीसी तथा 289 अन्य जलयान लगाए। विलम्ब शुल्क ₹12.21 करोड़ (2010-11) से ₹54.97 करोड़ (2013-14) और ₹81.70 करोड़ (2015-16) तक बढ़ गया क्योंकि जेटी और एसपीएम दोनों एक ही कच्चा तेल निकालने की लाइन से जुड़े थे जिसके परिणामस्वरूप जलयान भार मुक्ति के लिए प्रतीक्षित थे। कम्पनी के जीआरएम ने 2011-12 में 5.60 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल से 2014-15 में (-) 0.64 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल तक कम हुआ यद्यपि यह दोबारा 2015-16 में बढ़ कर 5.20 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल हो गया था।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि 2015-16 के दौरान थ्रूपुट में 15.69 एमएमटी तक वृद्धि हुई थी, पत्तन पर संभाले गए जलयानों की संख्या में कमी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप संकुलन में भी कमी हुई और एसपीएम द्वारा विलम्ब शुल्क वास्तविक स्तर तक नियंत्रित किया गया था।

उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत देखा जाना है कि थ्रूपुट में वृद्धि जीआरएम में नहीं दर्शायी गई थी। इसके अलावा पत्तन में संकुलन की कमी से विलम्ब शुल्क में कमी नहीं हुई जिसमें 2010-11 की तुलना में 2015-16 में 6.7 गुणा तक की वृद्धि हुई थी।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। (जून 2017)।